अपने चन्दे का बकाया और प्रवेश शुल्क के बराबर पूर्व प्रवेश शुल्क चूका देगा। संघ का काम वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा।

7. संघ के मान्यक (आनरेरी) सदस्य-- जो व्यक्ति उपर्युक्त नियम के अधीन साधारण सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के पात्र न होंगें वे संघ की कार्यकारिणी समिति के लिए निर्वाचित या सहयोजित (कॉ–ऑप्ट) होने के प्रयोजनार्थ संघ के मान्यक (आनरेरी) सदस्य बनाये जा सकेंगें। ऐसे मान्य सदस्यों की संख्या किसी भी समय कार्यकारिणी समिति का कुल संख्या के आधे से इसमें जो भी कम हो, अधिक न होगी।।

8. सदस्य पंजी– सदस्यों की जिसके अर्न्तगत मान्यक सदस्य भी है, एक पंजी होगी, जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम, (उम्र पता और) पेशा दिया रहेगा। यह पंजी संघ के निबंधित कार्यालय में रखी रहेगी तथा जिम्मेवार पदधारियों द्वारा समुचित रूप से भरी जायेगी। संघ का कोई भी सदस्य या पदधारी निरीक्षण करने के तीन दिन की पूर्व सूचना देकर सप्ताह में किसी भी दिन संघ के सामान्य कार्यालय समय में इस पंजी का निरीक्षण कर सकेगा।

9. सदस्यों का निष्कासन (हटाया जाना) – जालसाजी का काम करने या संघ के हितों के प्रतिकूल कार्य करने के कारण संघ के कोई भी सदस्य जिसके अर्न्तगत कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी सम्मिलित हैं, सदस्यों की आम–सभा के बैठक के निर्णय से संघ की सदस्यता से निष्कासित से किये जा सकेंगें, परन्तु निष्कासित किये जाने वाले सदस्य को अपने आचरण का औचित्य स्पष्ट करने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

10. सामान्य बैठक (आम–सभा) – निम्नलिखित कार्यों का संचालन के लिए प्रति वर्ष जनवरी / फरवरी में संघों के सभी सदस्यों की एक सामान्य (आम) वार्षिक बैठक होगी :–

(क) संघ द्वारा किये गये कार्यों की रिपोर्ट और अंकेक्षित लेखा विवरण को पारित करना।

(ख) अगले साल के लिए संघ पदधारियों का निर्वाचन करना।

(ग) अध्यक्ष की अनुमति से पेश किये गये किसी अन्य कार्यक्रम को सम्पादित करना।

वार्षिक सामान्य बैठक (आम सभा के लिए कोरम संघ की पंजी में दर्ज सदस्यों की कुल संख्या की एक–तिहाई का होगा। सदस्यों को सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी, जो संघ सूचनापट पर नोटिस चिपका कर और संघ के सदस्यों के बीच छपी नोटिस बंटवा कर दी जायेगी। जब अध्यक्ष संघ के सदस्यों की सामान्य बैठक बुलाना आवश्यक समझे तब वह कार्यकारिणी समिति की सहमति से ऐसे बैठकें बुला सकेंगें। ऐसी बैठक वह संघ के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई द्वारा हस्ताक्षरित मांग पर भी, किये जाने के 30 दिनों के भीतर बुलायेगा। यदि अध्यक्ष मांग किये जाने के 30 दिनों के भीतर ऐसी बैठक नहीं बुलायेगा, की मांग करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा कि वे ऐसी बैठक सात दिनों की नोटिस देकर बुलवा लें, जिस नोटिस में यह उल्लिखित रहेगा कि किस निश्चित तारीख को बैठक बुलायी जा रही है। मांग करने वाले सदस्यों को केवल उन्हीं मदों पर विचार–विमर्श करने का अधिकार होगा, जो मद प्रथम मांग नोटिस में शामिल होंगें।

बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ, पटना

11. कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्यः–

नियम 11 कार्यकारिणी के पदाधिकारी एवं सदस्य गुप्त मतदान द्वारा चुने जायेंगे और तबतक पदधारण किये रहेंगे जबतक संविधान के अनुसार पदाधिकारियों के लिए संघर्ष अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। जिस तिथि को अवधि समाप्त हो जायेगी उक्त तिथि के बाद कार्यकारिणी समिति स्वतः भंग हो जायेगी। परन्तु किसी यूनियन के पदाधिकारियों के पद पर महीने तक बढ़ायी जा सकती है। इस तरह बढ़ायी गयी तीन माह की अवधि में पूर्व की कार्यकारिणी ही कार्यकारी व्यवस्था के तौर पर कार्य करेगी। किसी भी परिस्थिति में संघ के चुनाव की अवधि 3 माह से अधिक समय के लिए नहीं बढ़ायी जायेगी।

2. चुनाव कराने हेतु कार्यकारिणी समिति कम से कम तीन सदस्यों को चुनाव समिति का गठन बहुमत के निर्णय से करेगी। यही समिति यूनियन का चुनाव संचालित करेगी तथा पदाधिकारियों की सूची प्रेषित करेगी।

3 यदि कार्यकारिणी समिति भंग हो जाय तो विघटित कार्यकारिणी के दो तिहाई सदस्यों को अधियाचना पर आम सभा की बैठक बुलायी जायगी। आम सभा का कोरम पूरा होने पर बहुमत से चुनाव कराने हेतु उपरोक्त कंडिका के अनुसार चुनाव समिति का गठन करके अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

12. **पदाधिकारियों के कर्त्तव्य** – (i) सभापति संघ के सभी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। वह संघ की कार्यकारिणी समिति और सामान्य बैठक की अध्यक्षता करेगा और इनके कार्यों का संचालन करेगा। सभापति की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर उप–सभापति (वाइस–प्रेसिडेन्ट) कार्य करेगा। सभापति को 5000-(पाँच हजार) रू0 तक खर्च करने का प्राधिकार देने की शक्ति होगी, किन्तु इसके लिए अगली बैठक में कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा।

(ii) प्रति–सभापति (वाइस–प्रेसिडेन्ट) – सभापति को दैनन्दिनी कार्यों में सहायता करेगा और वह उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करेगा।

(iii) महामंत्री संघ का मुख्य प्रशासी पदाधिकारी होगा और निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी होगा :–

(क) सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति और सभापति के सभी अनुदेशों को कार्यान्वित करना।

(ख) संघ की ओर से पत्राचार करना।

(ग) सभी बैठकों का कार्यवृत्त अभिलिखित करना।

(घ) सदस्यता पंजी तथा अन्य बहियों और पंजियों (लेखा बहियों और पंजियों को छोड़कर) रखना।

(ङ.) सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रति--सभापति (वाइस--प्रेसिडेन्ट) के परामर्श से कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना और उसके लिए सूचना एवं कार्यावली (एजेण्डा) निर्मित करना।

(च) ऐसा विवरण और अन्य दस्तावेज उपस्थापित करना जो ट्रेड यूनियन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपस्थापित किये जाने के लिए अपेक्षित हो।

(छ) कार्यकारिणी समिति की मंजूरी के बिना प्रति माह 500/— रू0 तक खर्च करना, किन्तु उसे अगली बैठक में उसका अनुमोदन करा लेना होगा और,

(ज) कार्यकारिणी समिति की हरेक बैठक में खर्च की रिपोर्ट और लेखा अनुमोदनार्थ उपस्थापित करना।

(झ) सहायक मंत्री, महामंत्री को उसके काम में सहायता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में उसका काम करेगा।

(ञ) कोषाध्यक्ष संघ का लेखा रखेगा और देय रकम वसूलेगा और उसके लिए रसीद देगा तथा उचित प्राधिकृत भाउचरों पर भुगतान करेगा।

13. संघ के लेखे का निरीक्षण और अंकेक्षण — संघ के पास एक सामान्य निधि होगी, जिसका संग्रह सदस्यों के चन्दे, दान और अन्य विविध स्त्रोतों से किया जायेगा। महामंत्री, बिहार ट्रेड यूनियन विनियमावली, 1928 के विनियम 15 के अनुसार कार्यकारिणी समिति द्वारा अंकेक्षण या अंकेक्षकों के जरिये 31 दिसम्बर की समाप्ति होने वाले हरेक वर्ष के संघ के लेखे के वार्षिक अंकेक्षण के लिए यथोचित व्यवस्था करेगा। यदि संघ का कोई पदधारी या सदस्य संघ की लेखा वही का निरीक्षण करना चाहे तो वह संघ के कार्यालय में निरीक्षण के लिये कम से कम तीन दिनों की सूचना देकर अवकाश दिन को छोड़कर सप्ताह के किसी भी दिन सामान्य कार्यकाल में लेखा वही का निरीक्षण कर सकेगा। इसी तरह संघ का लेखा निबंधक, श्रमिक संघ द्वारा निरीक्षण के लिए भी संघ के कार्यालय में या उसके द्वारा यथानियत स्थान में उपलब्ध रहेगा।

14. प्रयोजन, जिनके लिए संघ की सामान्य निधि खर्च की जा सकेगी—..... संघ की सामान्य निधियां निम्नलिखित भिन्न किन्हीं उद्देश्यों पर व्यय नहीं की जायेगी, नामतः—

(क) संघ के पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और व्ययों का भुगतान ;

(ख) श्रमिक संघ के प्रशासन के लिए व्ययों का भुगतान जिसके अन्तर्गत श्रमिक संघ की साधारण निधियां के लेखाओं का अंकेक्षण भी सम्मिलित है ;

(ग) ऐसी कोई वैधिक कार्यवाही चलना जिसमें ट्रेड यूनियन या उसका कोई सदस्य एक पक्षकार (पार्टी) हो, बशर्ते ऐसी कार्यवाही या उसकी प्रतिवादी कार्यवाही ट्रेड यूनियन के किसी अधिकार की अथवा संघ के किसी सदस्य को उसके नियोजक के साथ या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति के साथ संबंध के चलते होने वाले किसी अधिकार की प्राप्ति या उसकी रक्षा के लिए चलायी जाये ;

(घ) श्रमिक संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से श्रम विवाद (मालिक मजदूर के झगड़े) का संचालन ;

(ङ.) श्रम विवाद (ट्रेड डिस्प्यूट्स) के कारण हुई क्षति के लिए सदस्यों को प्रतिकर का दिया जाना ;

(ध) सदस्यों की मृत्यु, बुढ़ापे, बीमारी, दुर्घटना, शारीरिक असमर्थता या बेरोजगारी के कारण सदस्यों या उनके आश्रितों को भत्ते ;

(छ) सदस्यों को जीवन बीमा पौलिसियों अथवा बीमारी दुर्घटना या बेरोजगारी के विरुद्ध सदस्यों का बीमा करने वाली पौलिसियों का दिया जाना या उसके अन्तर्गत दायित्व का ग्रहण।

(ज) सदस्यों या उनके आश्रितों के लिए शैक्षणिक, सामाजिक या आर्थिक सुविधाओं से संबंधित, खर्च जिसमें मृत सदस्यों के अंतिम संस्कार या धार्मिक अनुष्ठान का खर्च भी शामिल है ;

(झ) मुख्यतः नियोजकों का या कर्मकारों पर उनकी उस हैसियत से प्रभाव डालनेवाले प्रश्नों पर विवेचन करने के प्रयोजन के लिए पत्र–पत्रिकाओं का सम्पादन, प्रकाशन, संचालन करना ;

(ञ) ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खर्च जिसके लिए श्रमिक संघ की सामान्य निधि से खर्च किया जा सकता है अथवा सामान्य कर्मकारों के फायदे के लिए अभिप्रत किसी भी मद में अंशदान, परन्तु किसी वर्ष ऐसे अंशदान के संबंध में किया जानेवाला खर्च उस वर्ष श्रमिक संघ की सामान्य निधि में उस समय तक हुई सकल आय और उस वर्ष के आरम्भ में उस निधि में जमा अतिशेष (बैलेंस) के कुल जोड़ की एक–चौथाई रकम से अधिक नहीं होगा ; तथा

(ट) अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किन्हीं शर्त्तों के अधीन रहते हुए कोई अन्य उद्देश्य जो शासकीय गजट में समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

15. संघ की सामान्य निधि और उसकी निरापद अभिरक्षा – संघ की सामान्य निधि के अन्तर्गत निम्नलिखित रकमें होगी ।

(1) प्रवेश शुल्क।

(2) चन्दा।

(3) संघ के सामान्य या किसी खास प्रयोजन के लिए सदस्यों से संग्रह किया गया दान या अतिरिक्त चंदा।

(4) मैचों, नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों या ऐसे अन्य मनोरंजनों के जरिये जो खासकर कर्मकारों और साधारणतः सोसायटी के लिए लाभदायक हो, संग्रह की गई रकम।

(संघ नियोजकों से दान स्वीकार नहीं करेगा)

उपर्युक्त स्त्रोतों से संग्रह की गई रकम कार्यकारिणी समिति द्वारा यथा अनुमोदित बैंक या बैंकों में संघ के नाम से जमा की जायेगी तथा उक्त लेखे का संचालन उसके महामंत्री और कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। महामंत्री या कोषाध्यक्ष चालू खर्च के लिए अपने पास अधिक से अधिक 5000-00 (पाँच हजार) रू0 रखेगा।

16. राजनीतिक प्रयोजनों के लिए पृथक निधि खोलना– संघ एक पृथक निधि ऐसे अंशदानों से गठन कर सकेगा जो उस निधि के लिए पृथकतः उद्गृहित किये गये हो, जिसमें से भुगतान श्रमिक संघ अधिनियम की धारा–16 की उप–धारा (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी को अग्रसर करने में उसके सदस्यों के नागरिक और राजनैतिक हितों का अभिवृद्धि के लिए किये जाये। संघ का सदस्य होने के लिए उक्त निधि में चन्दा देना जरूरी नहीं होगा और कोई सदस्य चन्दा देने से इन्कार करें तो वह इससे किसी बात के लिए नियोग्य नहीं किया जा सकेगा। राजनीतिक निधि का अंकेक्षण सामान्य लेखे के अंकेक्षण के साथ किया जायेगा तथा जो अंकेक्षण सामान्य लेखे का अंकेक्षण करेगा वहीं इसका भी अंकेक्षण करेगा।

17. वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना– ट्रेड यूनियन अधिनियम–1926 की धारा–28 के अनुसार महामंत्री, ट्रेड यूनियन के निबंधक के पास प्रत्येक वर्ष 30 अप्रील तक संघ का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

18. नियमावली का संशोधन, परिवर्त्तन या रद्द किया जाना– ट्रेड यूनियन के अधिनियम के अभिभावी उपबंधों के अधीन हुए, संघ का कोई भी नियम सामान्य निकाय की बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा संशोधित, परिवर्तित या रद्द किया जा सकेगा।

उपर्युक्त बैठक के 15 दिनों के भीतर नियम या नियमों में किये गए परिवर्त्तन की सूचना निबंधक के पास भेज दी जाएगी। परिवर्त्तन को तब तक प्रभावी न माना जायेगा, जब तक उसका निबंधन न हो जाय और इस निमित्त श्रमिक संघ के निबंधक से निबंधन प्रमाण–पत्र प्राप्त न हो जाये।

19. हड़ताल– संघ हड़ताल पर जाने का निर्णय तबतक न लेगा जबतक सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौते के लिए किये गये सभी प्रयास विफल नहीं हो जाये। हड़ताल तबतक न की जायेगी। जबतक इस प्रयोजन से बुलायी गयी बैठक में सदस्यों का सामान्य निकाय इस संबंध में अपना अनुमोदन नहीं दे दें। यदि कोई हड़ताल उस समय प्रस्तुत किसी निधि के प्रतिकूल होगी, तो संघ ऐसी हड़ताल का न तो आयोजन करेगा और न उसे प्रोत्साहन ही देगा।

20. संघ का विघटन– संघ का तभी विघटन किया जायेगा जबकि इस संबंध में निर्णय इस प्रयोजन से बुलायी गयी आम सभा (जेनरल मीटिंग) में सदस्यों के बहुमत से लिया जायेगा, अन्यथा नहीं। ऐसी बैठक का कोरम संघ के कुल सदस्यों के तीन चौथाई सदस्यों से पूरा होगा। संघ का विघटन हो जाने पर संघ के महामंत्री और उसके सात सदस्यों के हस्ताक्षर से एक नोटिस, निबंधन प्रमाण–पत्र के साथ विघटन के 14 दिनों भीतर निबंधक के पास विघटन के लिए भेज दी जायेगी तथा वह विघटन ऐसे निबंधन की तारीख से प्रभावी होगा। उपर्युक्त बैठक में ही यह भी निर्णय ले लिया जायेगा, कि विघटन के बाद संघ के निधि का खर्च किस प्रकार किया जायेगा।

अध्यक्ष

संघ के सभापति या महामंत्री का हस्ताक्षर

बिहार राज्य दलपति ग्राम रक्षा-दल महासंघ, पटना।

दिनांक [illegible]

श्रमिक संघ की नियमावली का प्रादर्श

1. संघ का नाम बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम-रक्षा-दल महासंघ होगा।

2. पता–संघ के प्रधान कार्यालय का पता 11, बेलस्स रोड पटना, 800015 होगा।

(यदि इस कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन होगा, तो ऐसे परिवर्तन का प्रभावी होने की तारीख से 14 दिनों के भीतर सभी सम्बद्ध व्यक्तियों एवं निबंधक, श्रमिक संघ, बिहार को इसे सम्यक रूप से सूचित किया जाएगा।)

3. संघ का मुहर– संघ एक निगम निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी। निबंधक श्रमिक संघ के पास पेश किये जाने वाले सभी कागजों पर संघ की मुहर लगी रहेगी।

4. संघ के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :–

(क) पंचायती राज्य संस्था में दलपति एवं ग्राम-रक्षा दल के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को संगठित करना।

(ख) सदस्यों के अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा सदस्यों और उनके नियोजकों के बीच संबंध नियमित करना।

(ग) उनके लिए जीवन और काम के लिए उचित शर्तें सुनिश्चित करना।

(घ) बेहतर मजदूरी एवं काम की शर्तों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना।

(ड.) दुर्घटना की दशा में सदस्यों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन प्रतिकर दिलवाने का प्रयत्न करना।

(च) बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी, दुर्घटना और मृत्यु की दशा में सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए सहायता की व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना।

(छ) नियोजक और कर्मचारी के बीच के संबंध को सुधारने का प्रयत्न करना।

(ज) समान उद्देश्यों वाले कामगारों के अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना और उनके साथ संबद्ध होगा।

(झ) ऊपर उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्यतः ऐसे अन्य प्रयास करना जो आवश्यक हो।

5. तरीका– संघ अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बराबर संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके अपनायेगा और हिंसात्मक कार्रवाई या ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा, जो समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक हो।

6. साधारण सदस्य बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ में नियोजित 15 (18) (पन्द्रह) वर्ष या उससे अधिक उम्र के कर्मचारी संघ के साधारण सदस्य के रूप में प्रवेश पाने का पात्र होगा, बशर्ते वह संघ द्वारा बनाई गई या समय–समय पर बनायी जाने वाली नियमावली और उप–विधियों का पालन करने के लिए सहमत हो। साधारण सदस्य को संघ का सदस्य बनने पर 15-00 (पन्द्रह) रुपया प्रवेश शुल्क तथा 56-00 (छप्पन) रुपेया वार्षिक (चन्दा ....x.......... मासिक चन्दा के रूप में देना होगा। जो सदस्य वर्ष की द्वितीय तिमाही के समाप्त होने के पूर्व लगातार तीन महीने तक अपना चन्दा नहीं चुकायेगा। वह संघ का सदस्य नहीं रह जायेगा) तथा वह सदस्य न रह जाने की तारीख से संघ की ओर से किसी भी लाभ का अपना दावा खो देगा। किन्तु कार्यकारिणी समिति ऐसे व्यक्ति को फिर से सदस्य बना सकेगी जो

निबंधक, श्रमिक संघ बिहार, पटना

बिहार राज्य दलपति एवं ग्राम रक्षा दल महासंघ, पटना